The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume2 | Issue 1 |March 2026
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

भारतीय राजनीति में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: महिला आरक्षण विधेयक का मूल्यांकन

बीर बहादुर सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
प्रो० (डॉ०) निर्मला कुमारी
पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 14/03/2026

स्वीकृति तिथि: 20/03/2026

प्रकाशनतिथि: 31/01/2026

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, भारतीय राजनीति, लोकतंत्र, लैंगिक समानता

सारांश

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का प्रश्न लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। यद्यपि भारत ने संवैधानिक रूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को स्वीकार किया है, फिर भी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित बनी हुई है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना तथा महिला आरक्षण विधेयक, विशेषकर ***नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023*** के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है तथा द्वितीयक स्रोतों, जैसे सरकारी प्रतिवेदन, निर्वाचन आँकड़े, विधायी दस्तावेज और शोध अध्ययनों के आधार पर विषय का परीक्षण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ा है, किन्तु यह अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से काफी कम है। इसके विपरीत, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण विधेयक भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता, समावेशी लोकतंत्र और महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किन्तु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक स्वीकृति, राजनीतिक प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन भी आवश्यक हैं।

1. परिचय

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ शासन प्रणाली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रतिनिधिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। लोकतंत्र का सार केवल चुनाव प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी वर्गों की समान और प्रभावी भागीदारी निहित होती है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को मूल आधार के रूप में स्थापित करते हुए नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं [1]। फिर भी, व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।

भारत में महिलाओं की जनसंख्या लगभग आधी (करीब 48 प्रतिशत) है [2], परंतु उनकी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। 17वीं लोकसभा (2019) में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14.4 प्रतिशत रही, जो ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक होने के बावजूद वैश्विक औसत से कम है [3], [4]। राज्य विधानसभाओं में यह स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व कई राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम है [5]। यह स्थिति केवल संख्यात्मक असमानता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज़ पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं हो रही है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करने वाले कारक बहुआयामी हैं। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना महिलाओं को निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं से दूर रखती है। इसके साथ ही, शिक्षा में असमानता, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक रूढ़ियाँ और राजनीतिक संसाधनों तक सीमित पहुँच महिलाओं के लिए अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करती हैं [6]।

राजनीतिक दलों की संरचना और टिकट वितरण की प्रक्रिया भी महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं रही है, जहाँ उन्हें अक्सर कम अवसर दिए जाते हैं [7]। परिणामस्वरूप, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल कम है, बल्कि उनका प्रभाव भी सीमित रहता है।

इस संदर्भ में महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में सामने आता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से महिलाओं को कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिसने जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया [8]। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिससे स्थानीय प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

यह अनुभव यह दर्शाता है कि आरक्षण न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, बल्कि नीति निर्माण की दिशा और प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करता है।

इसी पृष्ठभूमि में संसद में महिला आरक्षण विधेयक, जिसे हाल ही में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" के रूप में पारित किया गया, एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है [9]। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह कदम भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, महिला आरक्षण को "समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत" और "सशक्तिकरण दृष्टिकोण" के अंतर्गत समझा जा सकता है। यह न केवल अवसर की समानता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं को राजनीतिक शक्ति संरचनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी देता है। इसके अतिरिक्त, "क्रिटिकल मास सिद्धांत" के अनुसार जब किसी समूह की भागीदारी एक निश्चित स्तर तक पहुँचती है, तो वह नीति निर्माण को प्रभावी रूप से प्रभावित कर सकता है। इस संदर्भ में 33 प्रतिशत आरक्षण को एक महत्वपूर्ण सीमा माना जाता है।

फिर भी, महिला आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ व्यावहारिक और राजनीतिक चुनौतियाँ भी हैं। इनमें परिसीमन और जनगणना से जुड़ी शर्तें, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का खतरा, तथा सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता शामिल हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस नीति का मूल्यांकन केवल इसके उद्देश्यों के आधार पर नहीं, बल्कि इसके संभावित प्रभावों और चुनौतियों के संदर्भ में भी किया जाए।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन भारतीय राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण करते हुए महिला आरक्षण विधेयक के प्रभाव, प्रासंगिकता और सीमाओं का समग्र मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन न केवल वर्तमान स्थिति को समझने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य की नीतियों के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा प्रदान

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

करेगा।

2. साहित्य समीक्षा

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर उपलब्ध विद्वतापूर्ण साहित्य यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र की वास्तविक गुणवत्ता केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि निर्णय-निर्माण की संरचनाओं में विभिन्न सामाजिक समूहों, विशेषकर महिलाओं, की कितनी समान और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि प्रतिनिधित्व में असमानता लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर करती है और नीति-निर्माण को एकांगी बना देती है

2.1 महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर पूर्व अध्ययन

नायला कबीर (1999) ने महिला सशक्तिकरण को संसाधनों, निर्णय लेने की क्षमता तथा उपलब्धियों के त्रिस्तरीय ढाँचे में समझाते हुए यह तर्क दिया कि राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने और अपनी एजेंसी स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नीति-निर्माता बनती हैं [10]।

बीना अग्रवाल (1997) ने यह दर्शाया कि जब महिलाएँ सामूहिक निर्णय-निर्माण में शामिल होती हैं, तब संसाधनों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलती है, जिससे विकास प्रक्रिया अधिक संतुलित और टिकाऊ बनती है [11]।

रघुवेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्थर डुफ्लो (2004) ने अपने अनुभवजन्य अध्ययन में यह सिद्ध किया कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक निवेश को पुनर्संरचित किया, विशेष रूप से पेयजल, विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिला प्रतिनिधित्व नीतिगत प्राथमिकताओं को बदलने की क्षमता रखता है [12]।

एस्थर डुफ्लो (2012) ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के बीच द्विदिशीय संबंध है, अर्थात राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारती है और साथ ही आर्थिक विकास को अधिक समावेशी बनाती है [13]।

अमर्त्य सेन (2001) ने क्षमता दृष्टिकोण के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि विकास का वास्तविक अर्थ लोगों की स्वतंत्रताओं और विकल्पों का विस्तार है, और इस संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुदृढ़ करने का एक

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

महत्वपूर्ण माध्यम है [14]।

2.2 भारत में आरक्षण नीति पर शोध

भारत में महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण की शुरुआत 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से हुई, जिसने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ पहली बार औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुईं और इससे उनके आत्मविश्वास, सामाजिक स्थिति तथा निर्णय-निर्माण में भागीदारी में वृद्धि हुई [15]।

निरजा गोपाल जयाल (2006) ने यह तर्क दिया कि आरक्षण ने भारतीय लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसकी संरचना को भी परिवर्तित किया है, क्योंकि इसने हाशिए पर स्थित समूहों को सत्ता-साझेदारी में स्थान दिया [16]।

गीता सेन (1999) ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण जैसी नीतियाँ संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि ये उन सामाजिक अवरोधों को तोड़ती हैं जो महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखते हैं [17]। कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि स्थानीय स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को अधिक प्राथमिकता दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नीति-निर्माण की दिशा को प्रभावित करता है

विधायी अनुसंधान प्रतिवेदन (2022) के अनुसार, भारत की राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 9 प्रतिशत से कम है, जबकि संसद में यह लगभग 14–15 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि बिना आरक्षण के महिलाओं की भागीदारी स्वाभाविक रूप से सीमित बनी रहती है [18]।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है, जो भारतीय राजनीति में लैंगिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, हालांकि इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ने के कारण इसकी प्रभावशीलता पर अभी भी बहस जारी है [19]।

2.3 वैश्विक उदाहरण

वैश्विक स्तर पर किए गए तुलनात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जिन देशों ने

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

महिलाओं के लिए आरक्षण या कोटा व्यवस्था लागू की है, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ा है और इससे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में विविधता और समावेशिता आई है [20]।

ड्रूड डाहलरुप (2006) ने "क्रिटिकल मास सिद्धांत" प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि जब महिलाओं की भागीदारी एक निश्चित स्तर, लगभग 30 प्रतिशत या उससे अधिक, तक पहुँच जाती है, तब वे नीतियों और निर्णय-निर्माण की दिशा को प्रभावी रूप से प्रभावित करने लगती हैं [21]।

पिप्पा नॉरिस (2004) ने यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया महिलाओं की भागीदारी को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जहाँ दल सक्रिय रूप से महिलाओं को अवसर प्रदान करते हैं, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व अधिक होता है [22]।

अंतरराष्ट्रीय संसदीय प्रतिवेदन (2023) के अनुसार, विश्व स्तर पर संसदों में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 26–27 प्रतिशत है, जो यह दर्शाती है कि प्रगति के बावजूद लैंगिक समानता का लक्ष्य अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है [23]।

उपलब्ध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और न्यायसंगत बनाती है, तथा आरक्षण नीति महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे गए हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक स्वीकृति, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्थागत समर्थन आवश्यक हैं, अन्यथा महिलाओं की भागीदारी केवल औपचारिक रह सकती है

2.4 शोध अंतर

हालाँकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं, फिर भी अधिकांश शोध स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तक सीमित रहे हैं, जबकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के संभावित प्रभाव, विशेषकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) के संदर्भ में, समग्र और गहन विश्लेषण अभी भी सीमित है। इसके अतिरिक्त, कई अध्ययन केवल प्रतिनिधित्व की संख्या पर केंद्रित हैं, जबकि वास्तविक सशक्तिकरण, नीति-निर्माण पर प्रभाव, राजनीतिक दलों की भूमिका और संस्थागत परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन अध्ययन अपेक्षाकृत कम किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में आगे शोध की

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

आवश्यकता स्पष्ट होती है।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करता है, ताकि यह समझा जा सके कि यह नीति भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता और समावेशी शासन को किस सीमा तक सुदृढ़ कर सकती है।

3. शोध उद्देश्य

क. भारतीय राजनीति में महिलाओं के वर्तमान प्रतिनिधित्व तथा उनकी भागीदारी की स्थिति का समग्र विश्लेषण करना।

ख. महिला आरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उद्देश्यों तथा इसकी आवश्यकता का अध्ययन करना।

ग. महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

घ. महिला आरक्षण के प्रभाव से लोकतांत्रिक समावेशन और लैंगिक समानता में होने वाले संभावित परिवर्तनों का विश्लेषण करना।

ङ. महिला आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख चुनौतियों, सीमाओं तथा व्यावहारिक समस्याओं की पहचान करना।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति को समझना तथा महिला आरक्षण विधेयक के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना है, जिसके लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है। इस अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिन्हें भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग के आँकड़ों, विधायी प्रतिवेदनों तथा विभिन्न शोध लेखों से संकलित किया गया है।

अध्ययन 2000 के बाद की अवधि पर केंद्रित है ताकि हाल के परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत और तुलनात्मक विधि के माध्यम से किया गया है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और उसके रुझानों का समुचित आकलन किया जा सके।

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

5. परिणाम

भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है, यद्यपि समय के साथ इसमें क्रमिक वृद्धि देखी गई है। स्वतंत्रता के बाद पहली लोकसभा (1952) में महिलाओं की संख्या 22 थी, जो कुल सदस्यों का लगभग 4.4 प्रतिशत थी, जबकि 17वीं लोकसभा (2019) में यह संख्या बढ़कर 78 हो गई, जो लगभग 14.4 प्रतिशत के बराबर है।

तालिका 1: लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (चयनित वर्ष)

वर्ष	कुल सदस्य	महिला सदस्य	प्रतिशत (%)
1952	489	22	4.4
1971	518	28	5.4
1991	544	39	7.2
2009	543	59	10.9
2019	543	78	14.4

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े

यह वृद्धि यह दर्शाती है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सुधार हुआ है, किन्तु यह अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात (लगभग 48 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है।

राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सामान्यतः 10 से 12 प्रतिशत के बीच रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी संरचनात्मक बाधाओं से प्रभावित है। नीचे दी गई तालिका इस दीर्घकालिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। इन आँकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि लगभग सात दशकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, किन्तु यह वृद्धि अत्यंत धीमी और असमान रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह वृद्धि मुख्यतः कुछ विशेष चुनावों में अधिक दिखाई देती है, जबकि दीर्घकालिक प्रवृत्ति अभी भी स्थिर नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल सामाजिक परिवर्तन या

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

शिक्षा के विस्तार के कारण स्वतः नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसके लिए संस्थागत और नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है।

तालिका 2: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

स्तर	कुल प्रतिनिधि (लगभग)	महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत (%)
ग्राम पंचायत	24–25 लाख	10–11 लाख	43%
पंचायत समिति	5–6 लाख	2–2.5 लाख	40%
जिला परिषद	80 हजार–1 लाख	30–40 हजार	38%

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े

इसके विपरीत, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एक अलग ही प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जहाँ 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में कई राज्यों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया।

पंचायती राज मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 14.5 लाख महिलाएँ पंचायती संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह आँकड़ा यह दर्शाता है कि जब महिलाओं को संरचनात्मक रूप से अवसर प्रदान किया जाता है, तो वे बड़ी संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं।

इन आँकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि आरक्षण नीति ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को केवल बढ़ाया ही नहीं है, बल्कि उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान किया है। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि महिला प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और जल आपूर्ति जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता दी है, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जैसी समस्याएँ देखी गई हैं, फिर भी समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी अनुभव के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

अधिनियम (2023) के रूप में पारित किया गया है, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यदि इस विधेयक को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 180 से अधिक हो सकती है, जो वर्तमान स्तर की तुलना में लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। यह परिवर्तन न केवल संख्यात्मक वृद्धि तक सीमित रहेगा, बल्कि इससे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में विविधता, संतुलन और सामाजिक संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को अधिक महत्व मिलने की संभावना है। हालांकि, इस विधेयक के कार्यान्वयन को जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ने के कारण इसकी तात्कालिक प्रभावशीलता सीमित हो सकती है, जो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती के रूप में सामने आती है।

तालिका 3: विभिन्न देशों में महिला प्रतिनिधित्व (प्रतिशत)

देश	महिला प्रतिनिधित्व (%)
रवांडा	61%
स्वीडन	45%
दक्षिण अफ्रीका	46%
वैश्विक औसत	26%
भारत	14.5%

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिन देशों ने महिलाओं के लिए आरक्षण या कोटा प्रणाली को अपनाया है, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से अधिक है। उदाहरण के लिए, रवांडा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 61 प्रतिशत से अधिक है, जो विश्व में सबसे अधिक है, जबकि स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में यह क्रमशः लगभग 45 प्रतिशत और 46 प्रतिशत के आसपास है। इसके विपरीत भारत में यह अभी भी लगभग 14.5 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत (लगभग 26 प्रतिशत) से भी कम है।इस तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं को संरचनात्मक अवसर प्रदान किए गए हैं, वहाँ उनकी भागीदारी में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, जहाँ ऐसे उपाय नहीं किए गए हैं, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

बना हुआ है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाने, लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने तथा नीति-निर्माण में संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

6. विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले सात दशकों में बढ़ा अवश्य है, किन्तु यह वृद्धि धीमी और अपर्याप्त रही है, क्योंकि 1952 में लगभग 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में यह केवल 14.4 प्रतिशत तक पहुँचा है, जो महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात की तुलना में काफी कम है। यह स्थिति यह संकेत देती है कि बिना किसी नीतिगत हस्तक्षेप के महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में स्वाभाविक वृद्धि सीमित रहती है और यह संरचनात्मक बाधाओं से प्रभावित होती है। इसके विपरीत, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 40 से 45 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जब अवसर संरचनात्मक रूप से प्रदान किए जाते हैं, तो महिलाएँ बड़ी संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इसके साथ ही, यह भी देखा गया कि महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिससे यह सिद्ध होता है कि महिलाओं की भागीदारी नीति-निर्माण की दिशा और प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है।

इसी आधार पर यह तर्क मजबूत होता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में भी यदि महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। अध्ययन के अनुसार, 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग तीन गुना तक बढ़ सकती है, जिससे न केवल प्रतिनिधित्व में संतुलन आएगा, बल्कि निर्णय-निर्माण अधिक समावेशी और संवेदनशील हो सकता है। यह परिवर्तन विशेष रूप से उन मुद्दों को आगे ला सकता है, जो अब तक अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त करते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना भी इस निष्कर्ष को समर्थन देती है, क्योंकि जिन देशों में महिलाओं के लिए आरक्षण या कोटा प्रणाली लागू है, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व 40 से 60 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जबकि भारत में यह अभी भी लगभग 14–15 प्रतिशत है। यह अंतर यह दर्शाता है कि नीतिगत उपायों के अभाव में प्रतिनिधित्व का संतुलन स्थापित करना

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

कठिन होता है। हालाँकि, अध्ययन के परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कुछ स्थानों पर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जैसी समस्याएँ सामने आई हैं, जहाँ वास्तविक निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका सीमित रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिला आरक्षण के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि महिलाओं की भागीदारी केवल औपचारिक न रहकर वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित हो सके।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में समय के साथ कुछ सुधार अवश्य हुआ है, किन्तु यह सुधार अभी भी संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जो सात दशकों में लगभग 4 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत के आसपास पहुँचा है, यह दर्शाता है कि बिना किसी संस्थागत हस्तक्षेप के लैंगिक संतुलन स्थापित होना अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। यह स्थिति लोकतंत्र की उस मूल भावना के विपरीत है, जिसमें सभी वर्गों की समान और प्रभावी भागीदारी आवश्यक मानी जाती है।

इसके विपरीत, पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाओं को संरचनात्मक रूप से अवसर प्रदान किया जाता है, तो वे न केवल बड़ी संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं, बल्कि शासन की दिशा और प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करती हैं। स्थानीय स्तर पर महिलाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रबंधन और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को प्राथमिकता देना इस बात का प्रमाण है कि उनकी भागीदारी शासन को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाती है। इसी संदर्भ में महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पारित किया गया है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन की संभावना प्रस्तुत करता है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह केवल महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गुणवत्ता, नीति-निर्माण की दिशा और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करेगा। हालाँकि, यह भी स्पष्ट है कि केवल आरक्षण प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

कि महिलाओं को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में स्वतंत्र और प्रभावी भूमिका प्राप्त हो, न कि केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, सामाजिक मानसिकता और राजनीतिक संरचनाओं की सीमाएँ इस दिशा में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं।

8. सुझाव

क. महिला आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को समयबद्ध और स्पष्ट कार्ययोजना के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह नीति केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर वास्तविक रूप में प्रभावी हो सके।

ख. महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, जिससे वे निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में आत्मविश्वास और दक्षता के साथ भाग ले सकें।

ग. राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में महिलाओं को पर्याप्त प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने आंतरिक ढांचे में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि महिलाओं की भागीदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ सके।

घ. समाज में पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा और संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं के नेतृत्व को सामाजिक स्वीकृति मिल सके।

ङ. प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पारदर्शिता, निगरानी और उत्तरदायित्व की मजबूत व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, ताकि निर्वाचित महिलाएँ वास्तविक निर्णय लेने में सक्षम हों।

च. महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुँच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यही उनके प्रभावी राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार है।

छ. महिला आरक्षण के प्रभावों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि नीति में आवश्यक सुधार किए जा सकें और इसके परिणामों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

संदर्भ

[1] भारत सरकार, भारत का संविधान, नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1950।

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

[2] भारत सरकार, भारत की जनगणना 2011, नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, 2011।

[3] भारत निर्वाचन आयोग, सामान्य चुनाव 2019 पर सांख्यिकीय प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 2020।

[4] अंतर-संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का वैश्विक वर्गीकरण, 2023।

[5] पीआरएस विधायी अनुसंधान, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, नई दिल्ली, 2022।

[6] नायला कबीर, "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण," डेवलपमेंट एंड चेंज, खंड 30, संख्या 3, पृ. 464, 1999।

[7] बीना राय, "भारत में महिलाएँ और राजनीतिक भागीदारी," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 42, संख्या 14, पृ. 130, 2007।

[8] एस्थर डुफ्लो, "महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास," जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, खंड 50, संख्या 4, पृ. 1079, 2012।

[9] भारत सरकार, संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक, 2023 – नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नई दिल्ली, 2023।

[10] नायला कबीर, "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: विकास और परिवर्तन का विश्लेषण," डेवलपमेंट एंड चेंज, खंड 30, संख्या 3, पृ. 435–464, 1999।

[11] बीना अग्रवाल, "संपत्ति अधिकार और लैंगिक असमानता: भूमि, संसाधन और शक्ति का विश्लेषण," कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1997।

[12] रघुवेंद्र चट्टोपाध्याय एवं एस्थर डुफ्लो, "नीति-निर्माण में महिलाओं का प्रभाव: भारत में आरक्षण का अध्ययन," अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, खंड 94, संख्या 2, पृ. 140–144, 2004।

[13] एस्थर डुफ्लो, "महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास," जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, खंड 50, संख्या 4, पृ. 1051–1079, 2012।

[14] भारत सरकार, "भारतीय संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम," नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, 1992।

[15] निरजा गोपाल जयाल, "लोकतंत्र, लैंगिक न्याय और प्रतिनिधित्व," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2006।

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com

[16] गीता सेन, "महिला अधिकार, लैंगिक समानता और विकास का दृष्टिकोण," 1999।

[17] पीआरएस विधायी अनुसंधान, "राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व," नई दिल्ली, 2022।

[18] भारत सरकार, "संविधान (128वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 – नारी शक्ति वंदन अधिनियम," नई दिल्ली: भारत का राजपत्र, 2023।

[19] डूड डाहलरुप, "क्रिटिकल मास सिद्धांत और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी," 2006।

[20] पिप्पा नॉरिस, "राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक दलों की भूमिका," कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004।

[21] अंतर-संसदीय संघ, "विश्व संसदों में महिलाओं की स्थिति पर वैश्विक प्रतिवेदन," 2023।

[22] अमर्त्य सेन, "विकास के रूप में स्वतंत्रता," ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001।

Corresponding Author: veer101luck.kismat@gmail.com